



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-95

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267584 दिनांक 18/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mamta Hemnani W/o Kishor Hemnani	मिरचू मल पुत्र श्याम दास	138	111.11 SQ. YARD	Cooperative	ANAND VIHAR Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	दी रेल्वेमैन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आनन्द विहार के भूखण्ड संख्या ए-138 क्षेत्रफल 92.90 व.मी. की लीजडीड दिनांक 08.06.1994 को मिरचू मल पुत्र श्याम दास के नाम से जारी किया गया है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का जरिये अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 25.03.2004 को मिरचू मल पुत्र श्याम दास द्वारा उसकी पुत्री कविता कन्दनानी के हक में कर दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 24.12.2004 को मूल भूखण्ड स्वामी श्री मिरचू मल का निधन हो



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गया। जिसके वारिसान निम्नानुसार है:-
रामी बाई पत्नी स्व. मिरचू मल, लालचंद, आसनदास पुत्रान् स्व. मिरचू मल एवं कविता/ममता हेमनानी, नानकी देवी, कैकयी पुत्रियां स्व. मिरचू मल का शपथ पत्र सादा पेपर पर प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका ममता हेमनानी द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया गया है। उक्त वसीयतनामा कविता कन्दनानी के नाम से है एवं आवेदन ममता हेमनानी के नाम से किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mamta Hemnani W/o Kishor Hemnani को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004